उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

संख्या : 215/01/E-01/DR/PCS/2025-26 दिनांक : 12 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा–2025

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या–A-1/E-1/PCS-2025/2025-26 दिनांक 07 मई, 2025 के सापेक्ष उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति)–2025 का आयोजन दिनांक 06 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 तक उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है:–

परीक्षा तिथि/दिवस	समय	सत्र/समयावधि	प्रश्न–पत्र	विषय (कोड)
06.12.2025 (शनिवार)	पूर्वाह्न 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक	प्रथम/03 घण्टे	प्रथम	सामान्य हिन्दी (General Hindi) (91)
	अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक	द्वितीय/03 घण्टे	द्वितीय	निबंध (Essay) (92)
07.12.2025 (रविवार)	पूर्वाह्न 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक	प्रथम/03 घण्टे	तृतीय	**सामान्य अध्ययन–I** (भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज) General Studies-I (Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society) (93)
	अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक	द्वितीय/03 घण्टे	चतुर्थ	**सामान्य अध्ययन–II** (शासन व्यवस्था, संविधान, शासन–प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध) General Studies-II (Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations.) (94)
08.12.2025 (सोमवार)	पूर्वाह्न 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक	प्रथम/03 घण्टे	पंचम	**सामान्य अध्ययन–III** (प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन) **General Studies-III** (Technology, Economic Development, Bio diversity, Environment, Security and Disaster Management) (95)
	अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक	द्वितीय/03 घण्टे	षष्ठम	**सामान्य अध्ययन–IV** (नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरूचि) **General Studies-IV** (Ethics, integrity and Aptitude) (96)

09.12.2025 (मंगलवार)	पूर्वाह्न 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक	प्रथम / 03 घण्टे	सप्तम	**सामान्य अध्ययन–V** (उत्तराखण्ड राज्य की जानकारी) **General Studies-V** (Knowledge of State of Uttarakhand) (97)
	अपराह्न 2:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक	द्वितीय / 03 घण्टे	अष्टम	**सामान्य अध्ययन– VI** (उत्तराखण्ड राज्य की जानकारी) **General Studies-VI** (Knowledge of State of Uttarakhand) (98)

02. उक्त परीक्षा के लिए औपबन्धिक रुप से अर्ह अभ्यर्थी अपना **प्रवेश–पत्र (Admit-Card) दिनांक 21 नवम्बर, 2025 (शुक्रवार)** से आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश–पत्र (Admit-Card) प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश–पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

03. प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले ‘‘उत्तराखण्ड के बाहर के ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा का अनुरोध करने पर उन्हें श्रुतलेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय / प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय / प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा। श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा।

ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट–4(I) / 5(I) में देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी / शल्य चिकित्सक / चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण–पत्र, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट–4(II) / 5(II) में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका एवं प्रमाण–पत्र, श्रुतलेखक के आधार–कार्ड की छायाप्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति **दिनांक 25 नवम्बर, 2025 (मंगलवार)** तक डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। **ई–मेल के माध्यम से उक्त अभिलेख / प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य नहीं किया जाएगा।** आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा।

04. दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपर्युक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध प्रश्नगत परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन से डाउनलोड कर सकते हैं।

05. आयोग द्वारा नियत **अंतिम तिथि 25 नवम्बर, 2025 (मंगलवार)** के पश्चात श्रुतलेखक अनुमन्य किये जाने से सम्बन्धित किसी भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।